न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
100/2020	09.11.2020	10.05.2022

उनवान

1. धर्मवीर पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
2. लखमी चन्द पुत्र मोतीराम जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशगनढबास जिला अलवर
2. हरिपाल
3. धर्मपाल
4. जगपाल पुत्रान बलदेव जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी

उपस्थितः–

1. श्री रतिराम चौधरी वकील वादीगण की और से ।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

.....

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास मे मे स्थित हाल खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.09 हे. जिसका साबिक खसरा नम्बर 782 रकबा 0–07 बिस्वा मिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो की कब्जा काश्त की आराजी थी व आज भी है ।

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 782 जिसकाकि हाल खसरा नम्बर1105 रकबा 0.09 हे. बारानी अलिफ परवादीगण का पिता मोती पुत्र आशाराम व प्रतिवादीगण का पिता बलदेव पुत्र आशाराम कोम जाटनिवासी बम्बोरा सम्वत 2008 मे निरन्तर काबिज काश्त रहे है जिसके के नाम का अंकन चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2012–2015 मे बतौर कदीम काश्त गैर मोरूसी साल 5 अंकित किया हुआ है इसी कदर साबिक गिरदावरी सम्वत 2008

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

से 2019 मे भी वादीगण के पूर्वजो के नाम का अंकन दर्ज किया हुआ है जो अपने जीवनकाल मे काबिज रहे है चूकी विवादित आराजी से लगती हुई वादीगण के पूर्वजो व वादीगण की निजि खातेदारी की आराजी मौजूद है और वादीगण की निजि खातेदारी की भूमि मे विवादित आराजी हमेशा से छोटी पटटी के रूप मे शामिल होकर काश्त होती आ रही है किन्तु वादीगण के पूर्वजो की अज्ञानता के कारण वक्त सैटलमेन्ट राजस्व अधिकारीयो ने खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के मिसल हकीयत सम्वत 2029 तैयार करते समय सोहनलाल पुत्र ईश्वरी प्रसाद भार्गव के नाम का अंकन दर्ज कर दिया। जिस जो गलत इन्द्राज काबिले दुरूस्ती है।

सोहनलाल भार्गव व उसका परिवार गत 100 वर्षो से ग्राम बम्बोरा मे विस्थापित नही है। ना ही उपरोक्त आराजी पर कभी काश्त किया । ना ही काबिज रहे है। ऐसी सूरत मे वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्रदान किया जाना न्यायाचित है तथा मोजूदा गलत इन्द्राज को नल एण्ड वाईड करार दिलाकर हजफ कराने के वादीगण अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:–

1. यह है कि डिक्री इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि आराजी खसरा नमबर 1105 रकबा 0.09 हे. जिसका साबिक खसरा नम्बर 782 रकबा 0–07 बिस्वा मिन वादीगण के पिता मोती पुत्र आशाराम की कब्जा काश्त की आराजी थी व आज भी है जिस आराजी पर वादीगण व उसके पिता का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ उससे पूर्व व बाद मे भी बदस्तूर काबिज काश्त चले आ रहे है और आज भी वादीगण का ही कब्जा काश्त उक्त आराजी पर है ऐसी सूरत मे कब्जा मुखालफाना के आधार पर आराजी पर काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम का अंकन दर्ज किया जावे एवं मौजूदा इन्द्राज को नल एण्ड वाईड करार दिया जाकर हजफ कराया जाकर डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जावे।
2. खर्चा मुकदमा का वादीगण को दिलाया जावे। दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो मुनासिब समझे, अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या पैरोकारसरकार ने जबाब दावा पेश किया तथा शेष प्रतिवादी बावजूद तामिल उपस्थित नही , इसलिए प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस मे वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 मे हाल खसरा नम्बर 1105 रकबा 0–07 बिस्वा का साबिक 782 रकबा 0–07 पैमूद हुआ है। साबिक जमाबन्दी सम्वत 2012–15 मे सोहनलाल पुत्र ईश्वरी प्रसाद भार्गव सा. देह कास्त कदीम मारफत बलदेव मोती पुत्रान आशाराम समभाग जाट सा. देह गैर मोरूसी साल 5 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2071–74मे मथुराप्रसाद भार्गव रामकृष्ण भार्गव बालकृष्ण भार्गव पि. सोहनलाल भार्गव सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकी जमाबन्दी सम्वत 2012–15 की जमाबन्दी मे वादीगण के पिता बलदवे मोती पुत्रान आशाराम की काश्त दर्ज राजस्व रिकार्ड थी ।गिरदावरी के अनुसार मोके पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा प्राप्त तहसीलदार किशगनढबास रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वादी का कब्जा काश्त है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार वादीगण कब्जा वादी बाखूबी सिद्व होता है। इसलिए हम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण के नाम के अंकन को हजफ कर वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार दर्ज किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त यही है वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश है:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.09 हे. वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज मथुराप्रसाद ,भार्गव रामकृष्ण भार्गव बालकृष्ण भार्गव पि. सोहनलाल भार्गव सा. देह खातेदार के नाम को हजफ कर वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। पर्चा डिक्री जारी । खर्चा वादीया स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास